



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of implementation of FP scheme.

Ref:- 1.Accountant General (A&E) Uttarakhand, Dehardoon SSA

PA/Pen/UK/Relief/11-12/2856 Dt. 07.02.2012

2. Government of Uttarakhand No.272/XXVII(7)56/2011 Dt.09.12.2011

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) , Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,
(ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून)

(विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत)


पत्रांक : पी0ए0/पेंशन/उत्तराखण्ड/राहत/2011-12/2856

दिनांक : 07/02/2012

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

आ.प्र. पेंशन, देहरादून



विषय: उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मियों की असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु-7 संख्या 272 /XXVII(7) 56/2011 देहरादून दिनांक 09.12.2011 की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि इन्हें अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनरों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

Mailendra
वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन
0810412

28354

252918411 Person
15/12/11 921

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या: 272 / XXVII(7)56 / 2011
देहरादून, दिनांक: 09 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

K.S. Math
DR
158
23/11/12

विषय:- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिकों की असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: 21/XXVII (7)/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आये समस्त कार्मिक, शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाएँ और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है।

2- उक्त पेंशन योजना लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 में राज्य शासन की अधिसूचना सं0- 19/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01, अक्टूबर 2005 को या इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 के प्रविधान लागू नहीं होंगे।

3- अब केन्द्र सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0- 38/41/06/पी एण्ड पी0डब्लू(ए) दिनांक 05 मई 2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, कि नवीन पेंशन योजना केवल शासकीय सेवकों के सामान्य स्थिति में देय पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन का प्रतिस्थापन है। अतः शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण हेतु दिनांक 01-10-2005 को या इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन हितलाभ हेतु पृथक से प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4- उक्त योजना पेंशन हितलाभ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित किया गया है, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ देने की अनुशंसा की गयी है। उच्च स्तरीय कार्यदल द्वारा इस संबंध में की गयी अनुशंसा पर निर्णय एवं क्रियान्वयन में विलम्ब को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने हेतु अनन्तिम आदेश जारी किये गये हैं।

5- उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उक्त अंतरिम निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भी नई पेंशन योजना से आच्छादित राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता / असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण होने पर अनन्तिम रूप से निम्न व्यवस्थानुसार पेंशनरी सुविधा अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) सामान्य स्थिति में शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर- उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स -1961, एवं समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित विकलांग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान।

AAO/P
Bail
28/11/12

(2) शासकीय सेवक की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर -

नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, एवं समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु उपादान।

(3) शासकीय सेवक की शासकीय कार्य सम्पादन की अवधि में मृत्यु होने पर-

उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली -1961 एवं समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं मृत्यु उपादान।

(4) पुलिस बल के सदस्यों की पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियमावली -1961 में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर -

उत्तर प्रदेश (पुलिस) असाधारण नियमावली -1961, एवं समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान।

6- शासकीय कर्मचारी के परिवार को उपरोक्त हित-लाभ के साथ यथास्थिति मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत की पात्रता भी अनन्तिम (Interim) रूप से अनुमन्य होगी।

7- उपरोक्त अनन्तिम हितलाभों का समायोजन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुति को लागू करने व अंतिम रूप से बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार देय हितलाभों से किया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप यदि कोई वसूली की जानी है तो ऐसी वसूली इन नियमों के अन्तर्गत भविष्य में विकलांग पेंशनर/ कार्मिक की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशनर को किये जाने वाले भुगतानों से की जायेगी।

8- उक्त प्रस्तर- 5 के अनुसार किये जाने वाले अंतरिम भुगतान की अवधि में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को किसी प्रकार का मासिक-वार्षिकी (Monthly Annuitised) का पेंशन के रूप में भुगतान नई पेंशन योजना से नहीं किया जायेगा।

9- ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को उपरोक्त प्रस्तर -5 के अनुसार अंतरिम हितलाभ की पात्रता है, और नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी भुगतान की गयी राशि का समायोजन भविष्य में प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियमों के अनुसार कर लिया जायेगा।


10- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के पेंशनरों के पेंशन प्रपत्रों का तैयार किया जाना प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्व में शासकीय कार्मिकों हेतु की गयी व्यवस्थानुसार ही रहेगी।

11- कोषागार स्तर पर उक्त व्यवस्थानुसार स्वीकृत पेंशन हित लाभों के भुगतान का लेखा पृथक से " नई पेंशन योजना" की कैटेगरी में लेखांकन किया जायेगा, जिससे कि इसका लेखा भविष्य में किसी प्रकार के समायोजन के समय प्राप्त किया जा सके।

12 - पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं० -210/XXVII (7) / 2008, दि० 3 जुलाई, 2008 के द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु अवकाश नकदीकरण की सुविधा को स्थगित किया गया था। अब यह स्पष्ट किया जाता है, कि अवकाश नकदीकरण की सुविधा सेवानिवृत्तिक हित लाभ के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं की जाती है। अतः इस योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान सभी सुविधाएँ यथावत लागू रहेंगी।

उक्त आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2005 या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से प्रभावी माने जायेंगे। पूर्व निर्गत नियमावलियों में संशोधन बाद में कर लिये जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 तथा तत्कम में समय-समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढोंडियाल)
सचिव, वित्त।